

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

वाद सं०-170/2020

नारायण पण्डित

-बनाम्-


नौरंगी रविदास


आदेश

19.10.2020 थाना प्रभारी, तिसरी के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर वाद की सुनवाई की गयी।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों का दावा अलग-अलग हुकुमनामा वन्दोवस्ती पर ही आधारित है तथा वादग्रस्त भूमि के स्वत्व, अधिकार एवं वास्तविक दखल संबंधी विवाद को लेकर यह कार्यवाही जारी है, जबकि इस प्रकार के कागजात एवं साक्ष्य आधारित विवाद के निपटारा का अधिकार वस्तुतः सक्षम दीवानी न्यायालय के अधिकारिता में निहित है, तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)